न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.138 / अपील / 2019 (GCMS No. 2019 / 00271)	23.12.2019	21.01.2025

1. ग्यारसी बाई पत्नी रामकिशन जाति बैरवा निवासी देलून्दा
2. धनकंवर पुत्री रामकिशन पत्नी बाबूलाल निवासी सिलोर रोड बून्दी
3. जुगराज आ. रामकिशन जाति बैरवा निवासी देलून्दा तह. बून्दी
4. महेन्द्र कुमार आ. रामकिशन जाति बैरवा निवासी देलून्दा तह. बून्दी
5. रघुवीर आ. रामकिशन जाति बैरवा निवासी देलून्दा, तहसील बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

1. ग्यारसीलाल आ.जीवन जाति बैरवा निवासी अलकोदिया का बरडा
2. बंशीलाल आ.जीवन जाति बैरवा निवासी अलकोदिया का बरडा
3. सत्यनारायण आ.जीवन जाति बैरवा निवासी अलकोदिया का बरडा
4. लेखराज आ.जीवन जाति बैरवा निवासी अलकोदिया का बरडा
5. कैलाशीबाई पुत्री जीवन पत्नी रामकरण बैरवा निवासी इन्द्रपुरिया, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
6. मूर्तिबाई पुत्री जीवन पत्नी गोबरीलाल बैरवा निवासी धोला का रामपुरा, तहसील बून्दी
7. केला बाई पुत्री जीवन पत्नी बाबूलाल बैरवा निवासी आईटीआई गोशाला के पास, बून्दी
8. खाना आ. रामनाथ जाति बैरवा निवासी आईटीआई कोलोनी बून्दी (मृतक जरिये कायम मुकाम) :–

8/1 नाथी बाई पुत्री खाना पत्नी पृथ्वीराज जाति बैरवा निवासी जवाहरनगर बून्दी
8/2 बिसरी बाई पुत्री खाना जाति बैरवा निवासी जवाहरनगर बून्दी हाल आईटीआई गोशाला हनुमान कोलोनी बून्दी
8/3 शिवराज आ. खाना जाति बैरवा निवासी आईटीआई गोशाला हनुमान कोलोनी बून्दी
8/4 मनभर पुत्री खाना पत्नी श्योजी जाति बैरवा निवासी आईटीआई गोशाला हनुमान कोलोनी बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी

8/5 सीमा पुत्री खाना पत्नी पप्पू जाति बैरवा निवासी ग्राम लोईचा
8/6 रामराज पुत्र खाना जाति बैरवा निवासी आईटीआई गोशाला, हनुमान कोलोनी बून्दी
9. बिरधीबाई पुत्री रामनाथ पत्नी चैनसुखा जाति बैरवा निवासी आईटीआई गौशाला के पास, बून्दी
10 राजस्थान राज्य जर्ये नायब तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)
11 राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट
रेस्पोडेंटस की ओर से श्री राकेश ठाकौर, एडवोकेट
रेस्पो. सं. 10 व 11 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 30.04.1975 ग्राम देलून्दा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार रामनाथ वल्द लखमा के फौत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 138/2019 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2019/00271 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। दौराने अपील रेस्पो.सं.8 खाना के फोत हो जाने पर उसके वारिसान को अपील में कायम मुकाम रेस्पो.सं. 8/1 लगायत 8/6 बनाया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम देलून्दा में स्थित भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा सं. 342 रकबा 2.2258 हैक्टेयर एवं ख.सं. 397 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.8490 हैक्टेयर के खातेदार रामनाथ आ. लखमा जी थे, जिनका देहान्त हो चुका है। रामनाथ जी के तीन पुत्र जीवन, खाना, रामकिशन एवं एक पुत्री बिरधीबाई हुयी। इनमें से तीनों पुत्रों का देहान्त हो चुका है, अब केवल पुत्री ही जीवित है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

मृतक रामकिशन के वारिसान अपीलांटस है, मृतक जीवन के वारिसान रेस्पो. सं. 1 लगायत 7 तथा मृतक खाना के वारिसान रेस्पो.सं. 8/1 लगायत 8/6 है। खातेदार रामनाथ के देहान्त के पश्चात जो फौती इन्तकाल संख्या 6 दिनांक 30.04.1975 खोला गया, उसमें केवल जीवन व खाना इन दोनों पुत्रों का ही नाम दर्ज किया गया, जबकि एक पुत्र रामकिशन एवं पुत्री बिरधीबाई जीवित मौजूद होते हुये भी इनका नाम पिता के फौती इन्तकाल में दर्ज नहीं किया गया। जीवन व खाना द्वारा उक्त भूमि में रामनाथ के पुत्र रामकिशन व पुत्री बिरधीबाई का हिस्सा जानबूझकर हडप करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय को न तो जानकारी दी गई और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त फौती नामान्तरकरण खोलने से पूर्व मृतक खातेदार रामनाथ के समस्त वारिसान के बारे में कोई जांच नहीं की गई तथा न ही वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया गया। पिता रामनाथ के जीवन काल में एवं उनके देहान्त के बाद भी रामकिशन व बिरधीबाई अपने अपने 1/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते रहे है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई जांच नहीं की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के विपरित दर्ज किया गया उक्त नामान्तरकण विधि विरूद्ध होने से कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांटस को दिनांक 20.10.2019 को तब हुई, जब रेस्पो.सं. 1 लगायत 7 उक्त भूमि में अपीलांटस के 1/4 हिस्से की भूमि में जबरन कब्जा करने को आमादा हुए। अपीलांटस द्वारा दूसरे ही दिन कल हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया तथा दिनांक 17.12.2019 को नकल प्राप्त हुई। वैसे कानूनन प्रभावशून्य नामान्तरकरण को कभी चैलेंज किया जा सकता है, फिर भी जानकारी की तिथि से अपीलांटस द्वारा यह अपील अन्दर अवधि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। यदि फिर भी किसी कारणवश अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो न्यायहित में देरी कन्डोन फरमाई जावें। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1992 पेज 117, आरआरडी 1992 पेज 173, आरआरडी 1998 पेज 319 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामनाथ जी के तीन पुत्र जीवन, खाना, रामकिशन एवं एक पुत्री बिरधीबाई हुयी। मृतक रामनाथ के फोती नामान्तकरण में रामकिशन व बिरधीबाई का नाम दर्ज होने से छूट गया था। ऐसे में अब उक्त दोनों के नाम भी उक्त फोती नामान्तरकरण में दर्ज किये जाते है तो इससे जीवन व खाना के वारिसान को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार सभी विधिक वारिसान के पक्ष में फोती नामान्तरकरण दर्ज करवाया जाना कानून सम्मत एवं उचित है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 30.04.1975 की जानकारी दिनांक 20.10.2019 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। अभिभाषक रेस्पोडेंटस द्वारा भी अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का विरोध नहीं किया गया। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मेरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अपीलांटस अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 30.04.1975 वाकेग्राम देलून्दा की नकल उपलब्ध है। जिसके अनुसार ग्राम देलुन्दा, तहसील बून्दी की आराजी किता 3 कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि का खातेदार रामनाथ वल्द लखमा कौम चमार थे। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार रामनाथ के फोत हो जाने पर उसके वारिसान जीवन, खाना पि0 रामनाथ के पक्ष में तस्दीक किया गया है। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि उनका पिता एवं पति रामकिशन मृतक खातेदार रामनाथ का पुत्र होते हुये भी फोती नामान्तरकरण में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाकर सभी वारिसान के पक्ष में फोती नामान्तरकरण दर्ज करवाये जाने के आदेश दिये जावे।

यहां उल्लेखनीय है कि अभिभाषक रेस्पोडेंटस द्वारा रामकिशन एवं बिरधीबाई को मृतक खातेदार रामनाथ के विधिक वारिस होना स्वीकार किया जाकर फोती नामान्तरकरण में जीवन व खाना के साथ में पुत्र रामकिशन व पुत्री बिरधीबाई के नाम भी दर्ज किये जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। इस प्रकार विरासतन नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व मृतक खातेदार रामनाथ के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जांच नहीं किये जाने तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिये जाने से विधिक प्रावधानों की पालना के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में विधिक त्रुटि होना प्रथमदृष्ट्या प्रकट होता है। ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को बाद जांच विधिक उत्तराधिकारियों की सुनवाई की जाकर नये सिरे से फोती नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकण संख्या 6 दिनांक 30.04.1975 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रायथल को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार रामनाथ वल्द लखमा कौम चमार के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेज/साक्ष्य आदि रेकार्ड पर लिये जाकर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाकर नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी